पारस्परिकता अधिनियम, 1943

(1943 का अधिनियम संख्यांक 9)[1]

[31 मार्च, 1943]

ब्रिटिश कब्जाधीन क्षेत्रों में अधिवसित व्यक्तियों द्वारा भारत [2]* में प्रवेश, यात्रा, निवास, सम्पत्ति के अर्जन, धारण और व्ययन, शिक्षा-सुविधाओं के उपभोग, सार्वजनिक पदों के धारण करने या किसी वृत्ति, व्यापार, कारबार या व्यवसाय को चलाने, तथा उन व्यक्तियों के भारत [2]*** में मताधिकार के बारे में, पारस्परिकता के आधार पर उपबन्ध करने के लिए अधिनियम**

उद्देशिका—यह समीचीन है कि ब्रिटिश कब्जाधीन क्षेत्रों में अधिवसित व्यक्तियों द्वारा भारत [2]*** में प्रवेश, यात्रा, निवास, सम्पत्ति के अर्जन, धारण और व्ययन, शिक्षा-सुविधाओं के उपभोग, सार्वजनिक पदों के धारण करने या किसी वृत्ति, व्यापार, कारबार या व्यवसाय को चलाने तथा उन व्यक्तियों के भारत [2]*** में मताधिकार के बारे में पारस्परिकता के आधार पर उपबन्ध किए जाएं;

अत: निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित किया जाता है :—

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ—(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम पारस्परिकता अधिनियम, 1943 है ।

(2) इसका विस्तार [3]*** सम्पूर्ण भारत पर है ।

[4][(3) यह 1 सितम्बर, 1943 को प्रवृत्त होगा ।

2. परिभाषाएं—इस अधिनियम में, जब तक कोई बात, विषय या संदर्भ में विरुद्ध न हो,—

[5][(क) "ब्रिटिश कब्जाधीन क्षेत्र" से [6]*** हिज मैजेस्टी के अधिक्षेत्रों का कोई भाग अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत लीग आफ नेशन्स की ओर से आज्ञापक रीति से किसी ब्रिटिश कब्जाधीन क्षेत्र द्वारा प्रशासित कोई संरक्षित राज्य (प्रोटेक्टोरेट) या अन्य राज्यक्षेत्र आता है; और जहां उन राज्यक्षेत्रों के भाग किसी केन्द्रीय और स्थानीय, दोनों ही, विधान-मंडल के अधीन हों वहां इस पद से या तो स्थानीय विधान-मंडल के अधीन का प्रत्येक भाग या केन्द्रीय विधान-मंडल के अधीन के सभी भाग अभिप्रेत हैं ;]

(ख) "प्रवेश" के अन्तर्गत किसी ऐसे पोत या वायुयान का, जो [7][भारत] से भारत के किसी गन्तव्य स्थान को जा रहा हो, [7][भारत] में ठहरने के दौरान [7][भारत] में किसी पत्तन पर पहुंचाना भी है ।

[8]* * * * * * *

[9][**3. ब्रिटिश कब्जाधीन क्षेत्रों में अधिवसित व्यक्तियों पर पारस्परिक निर्योग्यताएं अधिरोपित करने की केन्द्रीय सरकार की शक्ति**—जहां भारतीय उद्भव के व्यक्ति किसी ब्रिटिश कब्जाधीन क्षेत्र की विधि या प्रथा द्वारा उस ब्रिटिश कब्जाधीन क्षेत्र में प्रवेश या यात्रा, निवास, सम्पत्ति के अर्जन, धारण या व्ययन, शिक्षा-सुविधाओं के उपभोग, सार्वजनिक पद धारण करने, किसी वृत्ति, व्यापार, कारबार या व्यवसाय को चलाने, या मताधिकार का प्रयोग करने के बारे में उस ब्रिटिश कब्जाधीन क्षेत्र में ऐसी निर्योग्यताओं के अधीन हैं, जिनके [7][भारत] में तद्रूप विषयों के बारे में, उस ब्रिटिश कब्जाधीन क्षेत्र में अधिवसित व्यक्ति [7][भारत] में अधीन नहीं है वहां, केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना[10] द्वारा, यह निदेश दे सकेगी कि तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, वही निर्योग्यताएं या यथाशक्य उन जैसी ही निर्योग्यताएं [7][भारत] में उन व्यक्तियों पर भी अधिरोपित की जाएं जो भारतीय उद्भव के नहीं हैं और उस ब्रिटिश कब्जाधीन क्षेत्र में अधिवसित हैं ।]

4. छूट का दावा करने वाले व्यक्ति पर सबूत का भार—यदि कोई व्यक्ति, जिसके बारे में यह अभिकथित है कि वह किसी ब्रिटिश कब्जाधीन क्षेत्र में अधिवसित है और इस अधिनियम के नियमों के उपबन्धों के अधीन है, यह अभिवचन करता है कि वह इस

---

[1] यह अधिनियम 1968 के अधिनियम सं० 26 की धारा 2 और अनुसूची द्वारा पांडिचेरी संघ राज्यक्षेत्र पर लागू होने के लिए विस्तारित किया गया ।

[2] भाग ख राज्य (विधि) अधिनियम, 1951 (1951 का अधिनियम सं० 3) की धारा 3 और अनुसूची द्वारा "के कतिपय भागों" शब्दों का लोप किया गया ।

[3] भाग ख राज्य (विधि) अधिनियम, 1951 (1951 का अधिनियम सं० 3) की धारा 3 और अनुसूची द्वारा "भाग ख राज्य के सिवाय" शब्दों का लोप किया गया ।

[4] 1943 के अधिनियम सं० 22 की धारा 2 द्वारा मूल उपधारा के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[5] 1943 के अधिनियम सं० 22 की धारा 3 द्वारा मूल खंड (क) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[6] विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा "भारत को छोड़कर" शब्दों का लोप किया गया ।

[7] 1951 के अधिनियम सं० 3 की धारा 3 और अनुसूची द्वारा "राज्यों" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[8] विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा अंत:स्थापित खंड (ग) का 1951 के अधिनियम सं० 3 की धारा 3 के अनुसूची द्वारा लोप किया गया ।

[9] 1943 के अधिनियम सं० 22 की धारा 4 द्वारा मूल धारा 3 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[10] ऐसी अधिसूनाओं के लिए देखिए भारत का राजपत्र (अंग्रेजी), 1944, असाधारण, पृ० 1487 और 1488 ।

प्रकार अधिवसित नहीं है या यह कि इस अधिनियम के उपबन्ध उसे लागू नहीं होते हैं तो ऐसे अभिवचन की सच्चाई साबित करने का भार उसी पर होगा ।

[1][**5. प्रवेश, यात्रा और निवास की बाबत निर्योग्यताएं अधिरोपित करने संबंधी निदेशों का सशस्त्र बलों को लागू न होना**—धारा 3 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा किया गया ऐसा कोई निदेश, जो किसी ब्रिटिश कब्जाधीन क्षेत्र में अधिवसित व्यक्तियों पर, [2][भारत] में प्रवेश, या यात्रा, या निवास की बाबत निर्योग्यताएं अधिरोपित करता है, वर्तमान संघर्षों के पर्यवसान के पश्चात् छह मास की समाप्ति तक, उस ब्रिटिश कब्जाधीन क्षेत्र में अधिवसित ऐसे किसी व्यक्ति को लागू नहीं होगा जो उसके सशस्त्र बलों का सदस्य है ।]

[3][**6. नियम बनाने की शक्ति**—(1) केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम[4], राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, बना सकेगी ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, इस धारा के अधीन बनाए गए नियमों में निम्नलिखित का उपबन्ध किया जा सकता है—

(क) धारा 3 में विनिर्दिष्ट किसी भी मामले की बाबत, वे निर्योग्यताएं, जिनके अधीन भारतीय उद्भव के व्यक्ति किसी ब्रिटिश कब्जाधीन क्षेत्र में हैं, अभिनिश्चित करने के लिए किसी तन्त्र की स्थापना;

(ख) नियमों को प्रशासित करने के लिए किसी उपयुक्त अभिकरण की स्थापना और उसके कृत्यों तथा शक्तियों को परिनिश्चित करना;

(ग) ऐसी निर्योग्यताएं विनिर्दिष्ट करना, जो धारा 3 के अधीन निदेश दिए जाने पर भारत में उन व्यक्तियों पर अधिरोपित की जाएं जो भारतीय उद्भव के नहीं हैं और किसी ब्रिटिश कब्जाधीन क्षेत्र में अधिवसित हैं, और इस प्रकार विनिर्दिष्ट निर्योग्यताओं का उन पर अधिरोपित किया जाना;

(घ) खंड (ग) के अधीन बनाए गए किसी नियम का, कारावास या जुर्माने या दोनों के रूप में, शास्ति विहित करके, प्रवर्तन;

(ङ) किसी ऐसे व्यक्ति की गिरफ्तारी प्राधिकृत करना, जो खंड (ग) के अधीन बनाए गए किसी नियम का उल्लंघन करता है या जिसके बारे में युक्तियुक्त रूप से यह संदेह है कि उसने ऐसा उल्लंघन किया है, और ऐसी गिरफ्तारियों की बाबत लोक सेवकों या दूसरों के कर्तव्यों को विहित करना ।]

[5][(3) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा । यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी । यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा । यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा । किंतु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।]

[6][**7. 1924 के अधिनियम 3 का निरसन**—इमीग्रेशन इनटु इंडिया ऐक्ट, 1924 निरसित किया जाता है ।]

---

[1] 1943 के अधिनियम सं० 22 की धारा 5 द्वारा मूल धारा 5 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[2] 1951 के अधिनियम सं० 3 की धारा 3 और अनुसूची द्वारा "राज्यों" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[3] 1943 के अधिनियम सं० 22 की धारा 6 द्वारा मूल धारा 6 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[4] दि रेसिप्रोसिटी (साउथ अफ्रीका) रूल्स, 1944, दि रेसिप्रोसिटी (नाटाल एंड दि ट्रांसवाल) रूल्स, 1944 और दि रेसिप्रोसिटी (साउथ अफ्रीका) (लोकल फ्रैंचाइज) रूल्स, 1944 के लिए भारत का राजपत्र, 1944 आसाधारण, पृ० 1527-1529 (अंग्रेजी) देखिए ।

[5] 1986 के अधिनियम सं० 4 की धारा 2 और अनुसूची द्वारा (15-5-1986 से) अंत:स्थापित ।

[6] 1943 के अधिनियम सं० 22 की धारा 7 द्वारा अंत:स्थापित ।